

उत्तराखण्ड शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या— / xxxi(13)G/2013-41(सा0)/2013

देहरादून: दिनांक 1<sup>o</sup> मई, 2013

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री राजेन्द्र कोटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति करते हैं।

2- यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री कोटियाल के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3- यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अनुरूप श्री कोटियाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष के लिये या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, की अवधि के लिए होगी।

4- राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)

सचिव।

संख्या-1594 / xxxi(13)G/2013-41(सा0)/2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा, विधान सभा भवन, देहरादून।
- 4- श्री राजेन्द्र कोटियाल, 57 दशमेशपुरी, निरंजनपुर, देहरादून।
- 5- सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- 8- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- महालेखकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
- 10- आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
- 11- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
- 12- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 13- सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
- 14- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस निर्देश सहित कि वे इस अधिसूचना को उसी तिथि में प्रकाशित करते हुए उसकी 100 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)

सचिव।